न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 107/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

राकेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार उम्र 31 वर्ष निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

....वादी

–:: बनाम –::

(1). तुलसीराम पुत्र श्री बहादरराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
(2). महेन्द्र देवी पत्नी श्री तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
(3). सुमन पुत्री तुलसीराम पत्नी श्री रमेश कुमार जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
(4). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

–– प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	वादी
	अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी	प्रतिवादी 1 ता 3
	पैरोकार राज	(प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 29.10.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 119/37 के मुरब्बा नम्बर 29, 30 की कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 तुलसीराम पुत्र बहादरराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 2 एच एच द्वितीय के खाता संख्या 119/37 की कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक कृषि भूमि है जो वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 इनके भाईयो द्वारा किये गये बंटवारा न्यायालय आदेश नामान्तरण संख्या 587 दिनांक 30/07/2021 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन सम्पति है उक्त विरास्तन जायदाद में वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने पारस्परिक सहमति से किए गए घरेलू समझौता अनुसार चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 119/37 के मुरब्बा नम्बर 29, 30 की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी राकेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को घरेलू वंटवारा में दी गई जिसका वादी काबिज काश्त है। चक 6 एम.एल. पटवार हल्का महियांवाली तहसील श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 37/73 के मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 1.265 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को घरेलू बंटवारा में प्राप्त हुई जो वादी की माताजी/प्रतिवादी संख्या 2 महेन्द्र देवी पत्नी तुलसीराम को जरिये उपहार पत्र नामातंरण संख्या 646 दिनांक 10/06/2024 द्वारा उपहार में दी जा चुकी है। उक्त सहमति से किए गए बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि के काबिज काश्त है। उक्त घरेलू बंटवारा में आई कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिंया देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 07/06/2024 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस होने एवं प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है । अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

(क) कि चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 119/37 के मुरब्बा नम्बर 29, 30 की कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि वादी राकेश कुमार पुत्र श्री तुलसीराम जाति कुम्हार निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।

(ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि वाद वादी स्वीकार किया जावे तो प्रतिविदीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अनवान राकेश कुमार बनाम तुलसी राम
वाद मुकदमा नं.107 / 2024

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत्–2073 –2076 ग्राम 2 एच एच द्वितीय, पटवार क्षेत्र नेतेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 119 / 37 की प्रति पेश की गई। वादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 156 / 2019 अनवान नन्दलाल बनाम तुलसीराम वगैरह निर्णय दिनांक 12.07.2019 एवम् डिक्री दिनांक 15.07.2021 की प्रति पेश की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् जमाबन्दी, एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 156 / 2019 अनवान नन्दलाल बनाम तुलसीराम वगैरह निर्णय दिनांक 12.07.2019 एवम् डिक्री दिनांक 15.07.2021 के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक आपसी सहमति के स्वीकार किया जाकर वादी राकेश कुमार पुत्र तुलसीराम को चक 2 एच एच द्वितीय पटवार हल्का नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 119 / 37 के मुरब्बा नम्बर 29, 30 की कुल 0.980 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29.10.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन् सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner